

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

जहाँ, इसके विक्रह एकतरफा कार्यवाही
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत
दिनांक 16.7.21 को पेश हो

स्वीकार
उक्त
पत्रावली

16.7.21

उभय पक्ष उपस्थित पीलापीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाधित है। अवकाश पर है / पत्रावली है।
अतः पत्रावली दिनांक 20.7.21 को पेश हो।

सिद्ध
उपखण्ड अधिकारी मण्डल

20.7.21 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थनागण उपस्थित,
वकील प्रार्थनागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला पीलापीन



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सकसैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 47/21 प्रा-पत्र

1- श्रीमती आशा देवी धो. श्री शिवभारायण ब्राह्मण निवासी - कैरिया तहसील - माण्डल (बगैरा)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री छगनलाल धो. श्री चुब्नीलाल खरीफ निवासी - कैरिया तहसील माण्डल (बगैरा) (प्रा-पत्र की प्रति संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 20.07.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3533/2968 कुल किता 01 रकबा 0.2529 बीघा हैबरयर बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.03.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3533/2968 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हैबरयर बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास को 400/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर निधमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा